नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना (SPREE)- 2025

स्रोत: पी. आई.बी.

करमचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation- ESIC) ने दो प्रमुख पहलों - **SPREE-2025 और AMNESTY योजना** की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य **सामाजिक सुरक्षा** ढाँचे को सुदृढ़ करना और उद्योगों के लिये अनुपालन को सरल बनाना है।

SPREE-2025

- **परिचय:** ESIC द्वारा अनुमोदित **नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना (Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees- SPREE)- 2025** का उद्देश्य **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948** के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।
  - **1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2025** तक सक्रिय, यह **अस्थायी और संविदा श्रमिकों सहित अपंजीकृत नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों को** निरीक्षण या पिछले बकाया का सामना किये बिना नामांकन करने का **एक बार का अवसर** प्रदान करता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **नियोक्ता ESIC, श्रम सुविधा (Shram Suvidha), और MCA पोर्टलों** के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकरण कर सकते हैं और **पंजीकरण** उनकी घोषित तिथि से मान्य होगा।
  - पंजीकरण से पहले की अवधि के लिये कोई योगदान या लाभ लागू नहीं होगा और उस अवधि के लिये कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी।
  - यह **पूर्वव्यापी दंड के भय को दूर करता है तथा प्रक्रिया को सरल बनाता** है तथा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है।

AMNESTY योजना

- **यह एक बार की विवाद समाधान पहल** है जिसे ESI अधिनियम के तहत क्षति, ब्याज और कवरेज से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह 1 अक्तूबर ,2025 से 30 सितंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगा।
- इस योजना का उद्देश्य **नियोक्ताओं को लंबित विवादों को सुलझाने और अनुपालन को मज़बूत करने** का अवसर प्रदान करना है, जिससे मुकदमों की संख्या कम होगी तथा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभों का सुचारू वितरण सुनिश्चित होगा।

और पढ़ें: ESIC राजस्थान में उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/spree-2025